सड़कें तंग हैं, चौड़ीकरण की जरूरत है

दिव्य जायसवाल (भाजपा)

वार्ड नंबर	247 (रामनगर)
शैक्षिक योग्यता	बीए
आपराधिक मामले	कोई नहीं

"जनता के लिए जरूरी सभी विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। एक-एक गली और रास्ते का निरीक्षण करके कार्य करवा रहा हूं"

नगर निगम में प्रदर्शन (अप्रैल 2007-मार्च 2009)

निगम की बैठकों में उपस्थिति	सवाल पूछे
52/56	कोई नहीं

उपलब्ध फंड का ब्यौरा (अप्रैल 07-मार्च 09)

कुल उपलब्ध राशि	2.71 करोड़ रु
आवंटित राशि	2.70 करोड़ रु

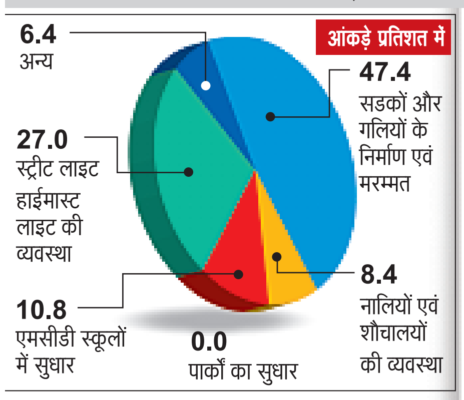

** प्रत्येक पार्षद को 2007-08 में 71 लाख तथा 2008-09 में 2 करोड़ वार्ड में विकास कार्य के लिए मिले*

समितियों में प्रदर्शन (अप्रैल 2007 से मार्च 2009)

समिति	पद	अवधि	उपस्थिति
वार्ड समिति (शहादरा उत्तरी)	सदस्य	2007-09	11/65
स्लम एवं जेजे	उपाध्यक्ष	2007-09	10/16
आश्वासन	अध्यक्ष	2007-09	3/4
पर्यावरण प्रबंधन	अध्यक्ष	2007-08	6/6
हिन्दी	अध्यक्ष	2007-09	3/3
खेल-कूद प्रोत्साहन	अध्यक्ष	2007-09	3/3
मलेरिया निरोधक	अध्यक्ष	2007-09	6/6
लाभकारी परियोजना	उपाध्यक्ष	2007-09	5/9
बाढ़ नियंत्रण	उपाध्यक्ष	2007-09	1/2
गलियों का नामकरण	उपाध्यक्ष	2007-09	5/9
राष्ट्रीय त्योहार	उपाध्यक्ष	2008-09	1/1
ग्रांट एन एड	उपाध्यक्ष	2008-09	उपलब्ध नहीं

"विकास कार्य नहीं हुआ, इसी कारण वर्तमान पार्षद विधायकी का चुनाव हार गए। क्षेत्र में सफाई और रास्तों की हालत दयनीय ह"

सुभाष जैन, कांग्रेस, हारे हुए उम्मीदवार

पार्षद जी का रिपोर्ट कार्ड — हिन्दुस्तान — सतर्क नागरिक संगठन

वार्ड नंबर 247 (रामनगर)

राम नगर वार्ड क्षेत्र के रास्तों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लोनी रोड को चौड़ा करने की दरकार सबसे ज्यादा है। इसके लिए योजना भी बनाई जा रही है।

दिक्कत को दूर करने के लिए क्षेत्र में पड़ने वाली जीटी रोड का हिस्सा चौड़ा किया गया। रोहतास नगर ईस्ट में स्थित विद्यालय की हालत दुरुस्त करने के लिए भी कार्य किया गया है। वार्ड में सस्याओं की कमी नहीं है। विभिन्न रास्तों पर बरसात के दिनों में जल भराव होता है, इस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। क्षेत्र में सफाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जगह-जगह गंदगी फैली रहती है। ऐसी स्थिति में लोगों को दुर्गंध का भी शिकार होना पड़ता है।

पार्षद फंड से सड़कों-गलियों की मरम्मत और निर्माण पर सवा करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन, पार्कों के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया। पथ प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सत्तर लाख रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है, लेकिन कई क्षेत्रों में काम किया जाना बाकी है।

दिव्य जायसवाल ने स्कूल बनवाया। • सर्वेश

विकास को तरस रहे हैं अवैध कॉलोनियों के लोग

वार्ड नंबर 263 (सबोली)

सबोली वार्ड में कई अवैध कॉलोनियां हैं, जिनकी हालत अत्यंत दयनीय है। पार्षद का कहना है कि इन कॉलोनियों में फंड का पैसा लगाने की छूट नहीं है। इस कारण विकास कार्य नहीं करवाए जा सकते। सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों को मताधिकार तो दे दिया है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास कार्य करने पर पाबंदी लगी है। ऐसे में जनता को जवाब देते नहीं बनता। क्षेत्र में सामुदायिक भवन और बारात घर की जरूरत है। लेकिन, स्थान की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है।

क्षेत्र में जल भराव बहुत होता है, इस कारण सौ से ज्यादा पुलियों का निर्माण भी करवाया गया है। कुछ सड़कों को कंकरीट से बनाया गया है, ताकि वह जल्दी-जल्दी खराब नहीं हों। क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के लिए मनोरंजन केन्द्र और युवाओं के लिए व्यायाम केन्द्र बनाने का कार्य किया जाना है। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है।

समारोह के लिए नहीं मिलता कोई ठिकाना

वार्ड नंबर 251 (न्यू उसमानपुर)

न्यू उस्मानपुर वार्ड में सामुदायिक भवन की दरकार है। इसके अभाव में क्षेत्र के लोगों को सामाजिक समारोहों का आयोजन करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। सड़कों और गलियों के निर्माण-मरम्मत पर डेढ़ करोड़ रु. से ज्यादा राशि पार्षद फंड से आवंटित की गई है। बावजूद कई क्षेत्रों में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कार्य किया जाना है। पानी की टंकी, गौतमपुरी के सामने की रोड की हालत ठीक नहीं है।

रास्ता खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती है। पार्कों पर पार्षद फंड का बहुत पैसा खर्च नहीं किया गया है, जो कार्य करवाए गए हैं, वह नाकाफी हैं। पार्कों की स्थिति कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी जगह ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ जगहों पर पार्क की स्थिति सुधारने के लिए विकास कार्य किया जा रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था कहीं पर दुरुस्त है तो कहीं पर लाइट जलती ही नहीं है और अंधेरा रहता है।

सत्य शर्मा (भाजपा)

वार्ड नंबर	251 (न्यू उसमानपुर)
शैक्षिक योग्यता	बारहवीं
आपराधिक मामले	कोई नहीं

"क्षेत्र में दर्जनों सड़कों को दुरुस्त करवाया है। स्ट्रीट लाइट और पार्कों में मरम्मत आदि का कार्य किया जा रहा है।"

नगर निगम में प्रदर्शन (अप्रैल 2007-मार्च 2009)

निगम की बैठकों में उपस्थिति	सवाल पूछे
54/56	कोई नहीं

फंड का ब्यौरा (अप्रैल 07-मार्च 09)

कुल उपलब्ध राशि	2.71 करोड़ रु
आवंटित राशि	2.56 करोड़ रु

समितियों में प्रदर्शन (अप्रैल 2007 से मार्च 2009)

समिति	पद	अवधि	उपस्थिति
वार्ड समिति (शहादरा उत्तरी)	सदस्य	2007-09	62/65
चिकित्सा सहायता	सदस्य	2007-09	18/21
आश्वासन	सदस्य	2007-09	3/4
महिला कल्याण व बाल विकास	सदस्य	2007-09	5/7

उपलब्ध फंड का ब्यौरा (अप्रैल 07-मार्च 09)

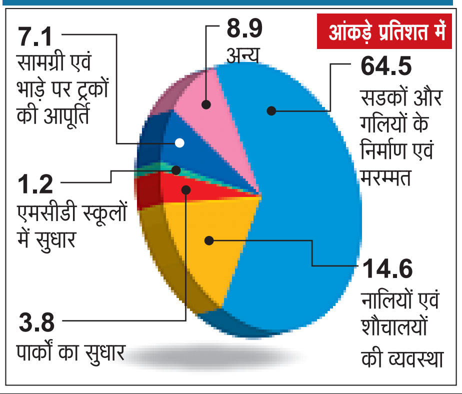

** प्रत्येक पार्षद को 2007-08 में 71 लाख तथा 2008-09 में 2 करोड़ वार्ड में विकास कार्य के लिए मिले*

"क्षेत्र में सफाई की हालत खस्ता है। किसी भी सड़क पर ठीक से काम नहीं किया गया है, जनता बुरी तरह से परेशान है"

कमलेश मिश्रा, कांग्रेस, हारे हुए पार्षद

** यह रिपोर्ट कार्ड सतर्क नागरिक संगठन (सोसाइटी फॉर सिटीजंस विजिलेंस इनीशिएटिव) के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित है।*

मनोज त्यागी (भाजपा)

वार्ड नंबर	263 (सबोली)
शैक्षिक योग्यता	दसवीं
आपराधिक मामले	कोई नहीं

"जनता के लिए जरूरी सभी विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। एक-एक गली और रास्ते का निरीक्षण करके कार्य करवा रहा हू"

नगर निगम में प्रदर्शन (अप्रैल 2007-मार्च 2009)

निगम की बैठकों में उपस्थिति	सवाल पूछे
42/56	01

प्रश्नों का विषयवार विश्लेषण

मुद्दे	प्रश्नों की संख्या
आवारा पशु	1

उपलब्ध फंड का ब्यौरा (अप्रैल 07-मार्च 09)

कुल उपलब्ध राशि	2.71 करोड़ रु.
आवंटित राशि	2.45 करोड़ रु.

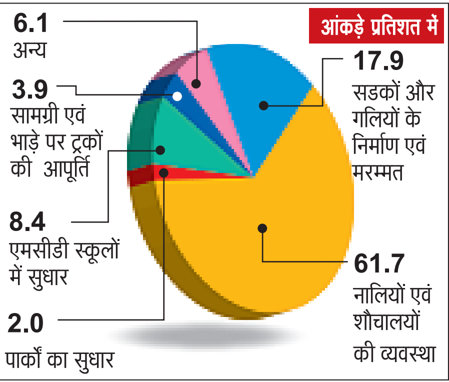

** प्रत्येक पार्षद को 2007-08 में 71 लाख तथा 2008-09 में 2 करोड़ वार्ड में विकास कार्य के लिए मिले*

समितियों में प्रदर्शन (अप्रैल 2007 से मार्च 2009)

समिति	पद	अवधि	उपस्थिति
वार्ड समिति (शहादरा उत्तरी)	सदस्य	2007-09	58/65
पर्यावरण प्रबंधन	सदस्य	2007-09	4/19
आचार संहिता	सदस्य	2007-09	1/7
विधि	सदस्य	2007-09	1/11
गलियों का नामकरण	सदस्य	2007-09	3/9

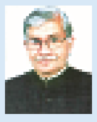

"जनता में निराशा है, निगम के कार्य होते नहीं और दूसरे सरकारी विकास कार्यों में रोड़ा अलग अटकाया जाता है"

ब्रह्मस्वरूप शर्मा, कांग्रेस, हारे हुए उम्मीदवार

व्यापारी को फंसाने वाले इंस्पेक्टर और एसआई फंसे

अब तक कार्रवाई न होने पर अदालत ने दिया आवमानना कार्रवाई का आदेश

फर्जीवाड़ा

- साउथ एक्स में रेहड़ी वालों से पुलिस की अवैध वसूली का भंडाफोड़ करने वाले एक व्यापारी को फर्जी मामले में फंसाने का मामला

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली

साउथ एक्स में रेहड़ी वालों से पुलिस की अवैध वसूली का भांडाफोड़ करने वाले एक व्यापारी को फर्जी मामले में फंसाने वाले एक इंस्पेक्टर और दो एसएचओ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार आवमानना कार्रवाई का संकट गहरा गया है।

न्यायाधीश एस एन धींगरा ने तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उपराज्यपाल के आदेश का अब तक पालन न होने पर अपने रजिस्ट्रार जनरल को निचली अदालत में इनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। स्थानीय व्यापारी मजीत सिंह चुग की याचिका पर अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह आदेश दिया है।

इस मामले में चुग और उसके पूर्व सैन्य अधिकारी पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का गलत मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट में यह साबित होने के बाद उपराज्यपाल ने गत जनवरी में इंस्पेक्टर अशोक कुमार, एसआई संदीप शर्मा और सुनील जैन के खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस आयुक्त को आदेश दिया था।

इस पर कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निचली अदालत में इन तीनों के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराते हुए अवमानना कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश दिया। इस मामले में मंजीत सिंह चुग और पिता मोहिंदर चुग को निचली अदालत ने 2004 में इन्हें दोषी भी ठहरा दिया लेकिन हाईकोर्ट से दोनों को 2008 में बरी कर दिया गया। मामले की तहकीकात में पता चला कि पुलिस ने गलत सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था और बाद में अपनी गलती को स्वीकार भी किया।

मामले में दिलचस्प बात यह है कि इनके खिलाफ जिस व्यक्ति की गैरइरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया उसे चुग ने साऊथ एक्स स्थित अपनी ही दुकान में चोरी करते पकड़ कर पुलिस को सौंपा था।

पहचान की अपील

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति का शव जिसकी **उम्र** : लगभग 30–35 साल, **कद** : 5'10", **रंग** : साँवला, **शरीर** : मध्यम, **चेहरा** : गोल, पीले रंग की टी–शर्ट और स्टील ग्रे रंग की पैंट व अण्डरवियर पहने हुए बाहरी रिंग रोड नजदीक आईटीआई धीरपुर, दिल्ली में घायल अवस्था में पाया गया। उसे ट्रॉमा सेन्टर लाया गया जहां 21.02.2009 को उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 33/09 दिनांक 21.02.2009 थाना तिमारपुर, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते या फोन नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें।

थानाध्यक्ष, थाना तिमारपुर, दिल्ली
दूरभाष सं. 23812734, 23814421

DP/429/N/09

शुल्क वृद्धि रोकने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी द्वारा मोबाइल टॉवरों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि पर अंतरिम रोक लगाने की पर रोक लगाने से इंकार किया

प्रमुख संवाददाता
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा मोबाइल फोन टावरों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि किए जाने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन एमसीडी से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्देश के अनुसार मोबाइल आपरेटरों द्वारा जमा एफडीआर को न भुनाए।

मोबाइल परिचालकों के अंतरिम रोक संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मौके पर मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा क्योंकि वद्धि की वैधता संबंधी मुद्दे पर उच्च न्यायालय विचार कर रहा है।

आपरेटरों का कहना था कि एमसीडी को शुल्क बढ़ाने को अधिकार नहीं है। उसने 2000 फीसदी शुल्क बढ़ा दिया। एमसीडी ने 8 अप्रैल10 को एक आदेश जारी कर मोबाइल टावरोंको प्रति टावर एक लाख रुपये तथा एक लाख प्रति सर्विस प्रोवाइडर को देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह शर्त भी जोड़ी थी कि इसके लिए उन्हें आरडब्लूए से भी अनुमति लेनी होगी साथ ही टावरों से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा पर भी नियंत्रण रखना होगा।

आपरेटरों ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, इसरो तथा नेवी से ही अनुमति लेनी की जरूरत होती है। एमसीडी इस मामले में कहीं नहीं है। एमसीडी एक्ट, 1957 की धारा 349 ए के तहत एमसीडी आयुक्त को केंद्र सरकारके निर्देशों के तहत काम करना पड़ता है लेकिन इस मामले में केंद्र से कोई सलाह नहीं ली गई।

उन्होंने कहा कि एमसीडी का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी), 21 तथा 14 मुक्त व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन है।

यदि नया शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई तो आपरेटर उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय तथा सस्ती सेवा नहीं दे पाएंगे।

अदालत का इंकार

- एमसीडी क्षेत्र दिल्ली में
- कुल टावर : **5500**
- एमसीडी के अनुसार अवैध टावर : **2952**
- पुराना शुल्क **100,000** रुपये
- नया शुल्क : **500,000** रुपये
- नए शुल्क के अनुसार कुल राशि : **55** करोड़ रुपये

एमसीडी की बाछें खिली

नई दिल्ली। निगम अधिकारी और नेता दोनों ही इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और अब मोबाइल कंपनियों को फैसले के अनुसार तय राशि जमा करनी होगी। इससे प्रति टावर एक लाख रुपए की राशि तो निगम के खाते में आएगी ही। साथ ही प्रति टावर एक लाख रुपए की एफडीआर भी जमा होगी। मालूम हो कि दिल्ली में करीब 5364 मोबाइल टावर हैं, इनमें से करीब 2412 टावर अनुमति के साथ लगाए गए हैं, जबकि 2952 अवैध ढंग से लगाए गए हैं। दिल्ली नगर निगम ने कुछ समय पूर्व टावर लगाने की नई नीति बनाकर टावर लगाने का शुल्क पांच लाख रुपए कर दिया था। कंपनियों द्वारा शुल्क जमा नहीं करने पर निगम ने टावर सीलिंग शुरू की थी। विरोध में कंपनियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सीलिंग पर रोक लगा दी थी। साथ ही एक लाख रुपए निगम के खाते में तथा एक लाख रुपए की एफडीआर जमा करने के लिए कहा था। **(प्र.सं.)**

तम्बाकू मुक्त दिल्ली के लिए परिसंवाद

नई दिल्ली। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री प्रो. किरण वालिया का मानना है कि तम्बाकू उत्पादों पर दी जाने वाली सचित्र वैधानिक चेतावनी और इसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने वाले विज्ञापन ज़्यादा असर नहीं डालते हैं।

कांस्ट्रीट्यूशन क्लब में मंगलवार को तंबाकू मुक्त शहर दिल्ली- विषय पर आयोजित सेमिनार में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि यूरोपीय देशों और अमरीका में इन उत्पादों पर दी जाने वाली सचित्र चेतावनी से लोगों के मन में ज्यादा डर पैदा होता है। वहां लोग इन उत्पादों के सेवन से डरते भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भी इस दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय और सख़्त कानून बनाने की ज़रूरत बताई। प्रो. वालिया ने गुटखे पर रोक लगाना सरकारी तंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह उत्पाद कानून के शिकंजे में ही नहीं आता। **(प्र.सं.)**

आंचल से ज्यादा जरूरी मां की गोद

कम वजन के जन्में बच्चों को मां की गोद में कहीं ज्यादा फायदा होता है

कार्यालय
नई दिल्ली

मां का आंचल नहीं बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए मां की गोद अधिक जरूरी है। कंगारू मदर केयर के जरिए जन्म के समय कम वजन के बच्चों को स्किन थेरेपी के जरिए नया जीवन दान दिया जा सकता है। देश में हर साल जन्म लेने वाले 2.5 करोड़ शिशु में तीस फीसदी बच्चे कम वजन के होते हैं। जिसकी वजह मां द्वारा धुम्रपान करना और रक्त की कमी को बताया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तीन दिवसीय कंगारू मदर केयर के जरिए कम वजन के शिशुओं की देखभाल का तरीका बताया जा रहा है। संस्थान के पीडियाट्रिक विभाग के डा. रमेश अग्रवाल ने बताया जन्म के समय शिशु का वजन कम से कम दो किलो पचास ग्राम होना चाहिए। इससे कम वजन के बच्चों में सरवाइवल प्रतिशत कम होता है, पिछले पांच साल में तीस फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन के देखे गए हैं, जिसके पीछे मां के शरीर में खून की कमी, एनीमिया तथा मां द्वारा धुम्रपान का अधिक सेवन देखा गया है। नियोनेटल केयर के तहत कंगारू मदर केयर के जरिए चार से पांच महीने के भीतर की बच्चों का वजन सामान्य हो जाता है। केएमसी (कंगारू मदर केयर) में शिशु को दस से पन्द्रह घंटे तक शिशु को मां की गोद में ही रखा जाता है। स्किन टू स्किन थेरेपी और मातृत्व के कारण बच्चे के सेल्स तेजी से संरक्षित होने लगते हैं, और दो सप्ताह के भीतर ही वजन सामान्य हो जाता है। डा. अग्रवाल कहते हैं कि कंगारू केयर कंगारू से ही लिया गया, जिसके चिकित्सीय परिणाम साबित होने के बाद इसे मानव शिशु पर भी अपनाया गया।

ट्राली बना देगी कमजोर

बच्चे को चौबीस घंटे गोद में लेने की जगह साठ फीसदी महिलाएं ट्राली का इस्तेमाल करती हैं, जिसके परिणाम बेहतर नहीं है। संस्थान के पीडियाट्रिक विभाग के डा. एके देवरारी कहते हैं कि गोद में लेने की जगह बच्चों को अधिक समय ट्राली में लिटाने से बाद में बच्चों में श्वसन क्रिया संबंधी परेशानियां देखी गई है। अधिक समय तक मां की गोद का साथ शिशु को आत्मीय रूप से मजबूत भी करता है।

'दोस्ती की आड़ में बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं'

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने लड़कियों से दोस्ती कर बलात्कार करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

न्यायाधीश एस एन धींगरा ने पूर्वोत्तर की युवती की शिकायत पर दुष्यंत वर्मा के खिलाफ दर्ज किए बलात्कार के मामले में आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने आरोपी के नौकरों के बयान के बयान के आधार पर यह फैसला दिया। दो नौकरों ने निचली अदालत को बताया कि दुष्यंत अक्सर महिला मित्रों को घर लेकर आता था और दोस्ती कर लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसकी आदत है।

पीड़िता ने भी अपनी शिकायत में स्वीकार किया कि उसकी दुष्यंत के साथ अच्छी दोस्ती थी लेकिन वह इस हद से आगे जाने का कुछ समय से दबाव डाल रहा था।

दिल्ली में पिछले कुछ सालों से अकेले रह रहे दुष्यंत ने गत 18 अप्रैल को उसे उसे अपने घर खाने पर बुलाया और जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता है और दिल्ली में पिता के पैसे से पूरे ठाट बाट से रह रहा है।

स्मृतिशेष

In Loving Memory of Our Beloved Father Late Shri M.K. Bhambri (Sinha) (10.10.1934 - 23.06.2001)
Who left us on this day Nine years ago. Deeply missed & remembered by **Sartaj Bhambri (Goldy) & Family.**

In Loving Memory of MRS. GEETU ARORA 11.05.1977 - 23.06.2008
Truth is no one dies our limited capability makes us think so, I am holding to this truth my wife of all birth U R alive for me Geetu & will remain so. **Luv U Deepak, Aggrima, Gatik.**

1st Death Anniversary VIJAY KUMAR GUPTA Ex-CMD, NEPA Ltd. 04.11.1941 - 23.06.2009
Those we love don't go away, They walk beside us every day, Unseen, unheard, but always near, Still loved, still missed and very dear. Kamini, Ashwani, Sonal, Ram & Om Geetanjali, Shashi, Gayatri & Shiv. Tel: 9810631424, 9312658327, J-54 Saket, New Delhi-17. **M/s Delhi Paper & Allied Agencies, Hotel Rama Inn, M/s A.K. Enterprises.**